द्वारा फैक्स/ईमेल
ई–मेल/महत्वपूर्ण/अतिआवश्यक।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पंचम तल, टावर–2, पुलिस मुख्यालय, शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226002
HQRS. DIRECTOR GENERAL OF POLICE, UP.
Floor-5,Tower-2, Police Headquarter.shaheed path. Gomti Nagar Extension. Lucknow-226002 ,Email-adgkarmik@nic.in

संख्याःडीजी–एक–39(चि0प्रति0 चेक लिस्ट)–2025 **दिनांकःमार्च 3 ,2025**

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
समस्त पुलिस आयुक्त,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः– सेवारत/सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के चिकित्या व्यय प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

———

प्रायः यह देखा जा रहा है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु इस मुख्यालय में प्राप्त होने वाले चिकित्सा दावा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011, प्रथम संशोधन नियमावली–2014, द्वितीय संशोधन नियमावली–2016 एवं तृतीय संशोधन नियमावली–2021 में दिये गये प्राविधानों/निर्देशों के अनुसार वॉछित आवश्यक सूचनाओं/अभिलेखों के साथ नहीं भेजे जाते हैं। दावों के परीक्षण/निस्तारण करने में अधिक समय लग जाता है तथा वह काफी विलंबित हो जाते हैं। इस स्थिति से अन्य चिकित्सा दावों को समय से स्वीकृति प्रदान किये जाने में भी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार भेजे जाने वाले अपूर्ण चिकित्सा दावों का निस्तारण कराने में अनावश्यक पत्राचार भी करना पड़ता है। जबकि भारतीय पुलिस सेवा के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में शासनादेशों/नियमों के आलोक में पूर्व में स्पष्ट दिशा–निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांकित 05.06.2020 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश यथावत रहेगे।

2– अतएव भारतीय पुलिस सेवा के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रचलित शासनादेशों/नियमों के आलोक में संलग्न चेक लिस्ट के अनुसार चिकित्सा दावा प्रस्तुत करने का कष्ट करें, ताकि समय से चिकित्सा दावों की स्वीकृति से सम्बन्धित कार्यवाही की जा सके।

3– यह पत्र पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नकःचेक लिस्ट की छायाप्रति एवं प्रपत्र।

3/3/25

(शलभ माथुर)
पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः सचिव, उत्तर प्रदेश पुलिस पेन्शनर कल्याण संस्थान, टावर–1 भूतल, पुलिस भवन (सिग्नेचर बिन्डिंग) गोमती नगर विस्तार, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Scanned with CamScanner

सेवारत/सेवानिवृत्त आई0पी0एस0 अधिकारियों व उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में चेक-लिस्ट-2025

क्र0	चेक लिस्ट
1-	चिकित्सा दावा निर्धारित परिशिष्ट "**ग**" पर प्रस्तुत किया गया है। **(परिशिष्ट "ग")**
2-	शासन के पत्र दिनांकित : 07-03-2019 द्वारा अपेक्षित प्रदेश के अन्दर प्रारूप-1 एवं प्रदेश के बाहर प्रारूप-2 में सम्बन्धित द्वारा 10 बिन्दुओं की सूचना दी गयी है। **(प्रदेश के अन्दर प्रारूप-1 एवं प्रदेश के बाहर प्रारूप-2)**
3-	निजी चिकित्सालय में कराये गये उपचार की सूचना स्वंय उपचारी द्वारा या उसके सम्बन्धी द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष को यथासम्भव शीघ्र किन्तु उपचार प्रारम्भ होने के 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया गया है। **(निजी चिकित्सालय 30 दिन सूचना)**
4-	बिना भर्ती (वाह्य रोगी) अनिवार्यता प्रमाण-पत्र (**Certificate"A"**) के सभी बिन्दुओं की पूर्ति कर चिकित्सा दावा प्रस्तुत किया गया है । **(बिना भर्ती (वाह्य रोगी) अनिवार्यता प्रमाण-पत्र - Certificate"A")**
5-	भर्ती होकर (अन्त:रोगी) अनिवार्यता प्रमाण-पत्र (**Certificate"B"**) के सभी बिन्दुओं की पूर्ति कर चिकित्सा दावा प्रस्तुत किया गया है। **(भर्ती होकर (अन्त:रोगी) अनिवार्यता प्रमाण-पत्र-Certificate"B")**
6-	बिना भर्ती (वाह्य रोगी) अनिवार्यता प्रमाण-पत्र (**Certificate"A"**) एवं भर्ती होकर (अन्त:रोगी) अनिवार्यता प्रमाण-पत्र (**Certificate"B"**) एवं सभी बिल/वाउचर को उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत, सत्यापित हस्ताक्षरित नाम/पद नाम की मुहर सहित एवं चिकित्सालय के प्रभारी अधीक्षक द्वारा नाम/ पदनाम की मुहर सहित प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है। **(उपचारी चिकित्सक के द्वारा नाम/पदनाम एवं सत्यापित/हस्ताक्षरित)**
7-	चिकित्सा दावे के सभी बिल/वाउचर, परामर्शी पर्चे (प्रेस्क्रिप्शन) एवं भर्ती होकर उपचार में डिस्चार्ज कार्ड आदि मूलरूप में संलग्न किये गये हैं। **(परामर्शी पर्चे (प्रेस्क्रिप्शन) एवं भर्ती होकर उपचार में डिस्चार्ज कार्ड)**
8-	अपरिहार्य परिस्थितियों में निजी चिकित्सालय/चिकित्सक से उपचार कराया गया हो तो सम्बन्धित उपचारी चिकित्सक द्वारा आपात दशा में चिकित्सा किये जाने से सम्बन्धित अपरिहार्य प्रमाण-पत्र प्राप्त कर संलग्न है। **(निजी चिकित्सालय/चिकित्सक उपचार कराने पर उपचारी चिकित्सक द्वारा अपरिहार्य प्रमाण-पत्र)**
9-	उपचारोपरान्त चिकित्सा दावा निर्धारित तीन माह के अन्दर प्रस्तुत किया गया है। **(तीन माह के अन्दर प्रस्तुत है)**

Scanned with CamScanner

10-	निर्धारित तीन माह के अन्दर चिकित्सा दावा प्रस्तुत न करने की स्थिति में, विलम्ब का औचित्य दर्शाते हुए विलम्ब को मर्षित किये जाने हेतु सम्बन्धित द्वारा अनुरोध पत्र संलग्न किया गया है। **(विलम्ब को मर्षित किये जाने हेतु)**
11-	शासन के पत्र दिनांकित :07-03-2019 द्वारा अपेक्षित अधिकृत सक्षम अधिकारी के स्तर से चिकित्सा दावे को प्रदेश के अन्दर **प्रारूप-1 में** परीक्षणोपरान्त एसजीपीजीआई/ के0जी0एम0यू0 की दर से एवं प्रदेश के बाहर **प्रारूप-2** में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, (एम्स), नई दिल्ली में की दरों पर प्रतिपूर्ति योग धनराशि (अंको/शब्दों) अंकित करते हुए एवं निजी चिकित्सालय करायी गयी चिकित्सा **प्रारूप-3** देय-अदेय की धनराशि का विवरण अंकित करते हुए सक्षम प्राधिकारी का स्पष्ट नाम/पदनाम की मुहर सहित चिकित्सा दावे को प्रतिहस्ताक्षरित कर अग्रसरण पत्र के माध्यम से चिकित्सा दावा परीक्षणोपरान्त वापस किया गया है। **(प्रदेश के अन्दर प्रारूप-1 एसजीपीजीआई/के0जी0एम0यू0, प्रदेश के बाहर प्रारूप-2- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, (एम्स), नई दिल्ली एवं प्रारूप-3 देय-अदेय की धनराशि का विवरण)**
12-	चिकित्सा दावा आश्रितों से सम्बन्धित होने की स्थिति में, आश्रितों, चिकित्सा परिचर्या नियमावली-2014 (प्रथम संशोधन) में निर्धारित परिवार की परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित स्वास्थ्य पत्रक परिशिष्ट **''क''** (हेल्थ कार्ड) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित अथवा पंडित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेश योजना के अर्न्तगत निर्गत कार्ड किया गया है। **(आश्रितों से सम्बन्धित हेल्थ कार्ड/ पंडित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेश योजना के अर्न्तगत निर्गत कार्ड)**
13-	चिकित्सा परिचर्या नियमावली-2014 (प्रथम संशोधन) में निर्धारित परिवार की परिभाषा के दृष्टिगत आश्रितों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक शपथ पत्र संलग्न है। **(आश्रित से सम्बन्धित आवश्यक शपथ-पत्र)**
14-	सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा प्रेषित किये जाने के साथ प्रार्थना-पत्र में अपना पी0पी0ओ0 संख्या, बैंक खाता, बैंक का नाम एवं शाखा, बैंक का आई0एफ0एस0सी0 कोड एवं कोषागार का नाम जहां से पेंशन आहरित की जा रही है, जिस जनपद/इकाई से सेवानिवृत्त हुए है उस जनपद का नाम संलग्न है। **(सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों पी0पी0ओ0 बैंक पास बुक आदि)**
15-	उपचार के दौरान मृत सरकारी सेवकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान उनके परिवार के सदस्य को किया जाता है। भुगतान हेतु पारिवारिक सदस्य होने का विधिक अभिलेखीय साक्ष्य संलग्न है। **(उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र)**

Scanned with CamScanner

16-	इस मुख्यालय के पत्रांक: डीजी-1-39(निर्देश)-2017, दिनांक: 06.03.2017 द्वारा सेवारत आईपीएस अधिकारीगण से मूल चिकित्सा दावे के साथ उसकी एक स्वप्रमाणित छायाप्रति अभिलेखार्थ प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी थी। मूल चिकित्सा दावे के साथ उसकी एक स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न है। **(मूल चिकित्सा दावे के साथ उसकी एक स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जायें।)**
17-	उत्तर पदेश सरकारी सेवक चिकित्सा परिचर्या नियमावली-2011 के भाग-पॉच नियम-16 के उप प्रस्तर-3 के द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारियों के चिकित्सा दावे जिस जनपद में निवास कर रहे हैं अथवा जहॉ से पेंशन आहरित कर रहे हैं, उस जनपद के पुलिस कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया जायेगा

चेक-लिस्ट का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ----------स्वयं /पत्नी/ पिता/माता/पुत्र/पुत्री आदि के उपचार /चिकित्सा में व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति संबंधी दावे का परीक्षण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011अधिसूचना संख्या 2275/पॉच-6-11-1082/87 दिनांक 20 सितम्बर 2011 एवं (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014, (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016, (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2021 इस मुख्यालय द्वारा प्रेषित 17 बिन्दुओं की चेक लिस्ट के अनुसार किया गया है। प्रश्नगत चिकित्सा दावा पूर्णत: सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। दावा स्वीकृति योग्य है ।

3/3/25

राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम----------

जनपद /इकाई का नाम--------

दिनांक----------

Scanned with CamScanner

ई–मेल/महत्वपूर्ण/आवश्यक।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
टावर–2, पंचम तल, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226002

संख्याःडीजी–एक–39(निर्देश)–2023 **दिनांकः**अगस्त 08, 2023

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
समस्त पुलिस आयुक्त,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः– सेवारत/सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

———

कृपया उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याः12ए–159 (दिशा–निर्देश)–2019 दिनांकः 05.06.2020 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सेवारत/सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में शासनादेशों/नियमों के आलोक में दिशा–निर्देशों से अवगत कराया गया है।

3– प्रायः यह देखा जा रहा है कि उक्त संदर्भित पत्र द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन नही किया जा रहा है। सेवारत/सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे इस मुख्यालय को सन्दर्भित कर दिये जा रहे है, जबकि इस मुख्यालय के उक्त संदर्भित पत्र दिनांकित 05.06.2020 द्वारा पूर्व में स्पष्ट निर्देश निर्गत किये जा चुके है।

4. सेवारत/सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याः12ए–159 (दिशा–निर्देश)–2019 दिनांकः05.06.2020 तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011, प्रथम संशोधन नियमावली–2014, द्वितीय संशोधन नियमावली–2016 एवं तृतीय संशोधन नियमावली–2021 में निहित प्रावधानों के अनुसार परीक्षण करके सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, के स्तर पर चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे निस्तारित किये जाए। उक्त पत्र पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नकः दिशा–निर्देश की छायाप्रति।

8/8.

(राजा श्रीवास्तव)
अपर पुलिस महानिदेशक,कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

Scanned with CamScanner

D41-39 (5)(H) 2019

13/5/6/2020

(14)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ

टावर–1, षष्टम तल, पुलिस भवन (सिग्नेचर बिल्डिंग) गोमतीनगर, लखनऊ।

संख्याः12ए–159(दिशा–निर्देश)2019 दिनांकः जून 5 ,2020

P 9/6/20

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

कृपया पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या–बारह/ए–चिकित्सा निर्देश–2011 दिनांक 8.11.2011, अधिसूचना संख्याः 2275/5–6–11–1082/87, दिनांक 20.09.2011 के कम में परिपत्र संख्याः तेईस–चिकित्सा निर्देश–2014 दिनांक 27.3.2014, अधिसूचना संख्याः–474/पांच–6–14–1082/87टीसी दिनांक 04.03.2014 (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 एवं परिपत्र संख्याः तेईस–चिकित्सा निर्देश–2015 दिनांक 19.11.2015 (छाया प्रति संलग्न) की प्रति आपको प्रेषित की गयी है, का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त अधिसूचना के नियम–20 को संशोधित करते हुए सेवारत/सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के चिकित्सा दावों के स्वीकृतकर्ता अधिकारी को निम्नवत अधिकार प्रतिनिधानित किये गये हैं:–

दावे की धनराशि	स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी
रू0 2,00,000/– तक	कार्यालयाध्यक्ष (जनपदीय प्रभारी/इकाई प्रभारी)
रू02,00,000/– से अधिक रू05,00,000/– तक	विभागाध्यक्ष (जोनल पुलिस महानिरीक्षक/अपर पुलिस महानिदेशक)
रू05,00,000/–से अधिक रू0 10,00,000/– तक	सरकार के प्रशासकीय विभाग
रू0 10,00,000/– से अधिक	वित्त विभाग के पूर्वानुमोदन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के पश्चात सरकार में प्रशासकीय विभाग

3. इस सम्बन्ध में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि भारतीय सेवा, प्रान्तीय सेवा एवं एलाइड सेवा से सेवानिवृत्त हुए राजपत्रित अधिकारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा रू0 2,00,000/– तक कार्यालयाध्यक्ष तथा रू0 2,00,000/– से अधिक रू0 5,00,000/– तक विभागाध्यक्ष्य द्वारा ही तदनुसर निस्तारित किये जायेंगे तथा रू0 5,00,000/– से अधिक के दावे, पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से शासन को स्वीकृत हेतु संदर्भित किया जाय।

4. उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 के नियम–24 में वर्णित है कि यह नियमावली अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों पर उन मामलों में लागू होगी जहाँ अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1954 के प्रावधान इस नियमावली से निम्नतर हैं।

3159

5. ज्ञातव्य है कि शासनादेश संख्याः 1495/छःपु0से0–02–10–522(5)/84 दिनांक 15.02.2011 द्वारा परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों एवं पुलिस उपमहानिरीक्षकों का विभागाध्यक्ष घोषित करते हुए उन्हें संलग्न सूची के 48 कार्यो हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिए गये हैं।

Sec.I

6. उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 3886/छ–पु0से0–2–99–522 (5)/14 दिनांक 22.10.1999 में पुलिस महानिरीक्षक के स्थान पर अपर पुलिस महानिदेशको को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है और इन्हें भी विभागाध्यक्ष के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार

अपर पुलिस महानिदेशक (कार्मिक)
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

A–II

Scanned with CamScanner

प्रदान किये गये हैं। इस प्रकार शासन द्वारा निर्गत आदेशों से स्पष्ट है कि पीएसी, सी.आई.डी., अभिसूचना एवं सुरक्षा, रेलवे, फायर सर्विस, प्रशिक्षण, तकनीकी संवायें के स्थान पर अपर पुलिस महानिदेशक को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है तथा उन्हें प्रतिनिधानित वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिए गये हैं। इसके अतिरिक्त अपर पुलिस महानिदेशक, ई.आ.डब्लू, रेडियो संचार, भ्र0नि0 संगठन, विशेष जॉच व वाराणसी जोन के पुलिस महानिरीक्षक को विभागाध्यक्ष पूर्व से घोषित किया गया है।

7. पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या कल्याण–23 (चि0नि0)–2019 दिनांक 24.12.2019 द्वारा शासनादेश संख्या 3886/छ–पु0से0–2–99–522 (5)/14 दिनांक 22.10.1999 के अनुपालन में सरकारी सेवकों एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे रू0 5.00 लाख तक के बिल जनपद, पीएसी व इकाई के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा निस्तारित किये जाने के निर्देश निर्गत किये जा चुके है।

8. अतएव शासन/पुलिस मुख्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों/परिपत्रों के आलोक में जनपद/इकाईयों में नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों (आई0पी0एस0 अधिकारियों सहित)/कर्मचारियों के चिकित्सा दावों का निस्तारण करें।

संलग्नकः यथोपरि

(हरिचरण सिंह)
वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, टावर–2, पंचम तल गोमतीनगर विस्तार,उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्याःडीजी–एक–39(निर्देश)–2019 दिनांक 27.2.2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

Scanned with CamScanner